All India Union of Forest Working People (AIUFWP)
अखिल भारतीय वन-जन श्रमजीवी यूनियन
email: aiufwp@gmail.com
PROTECT LIVELIHOOD
PROTECT RESOURCES

B-137 Dayanand Colony, Lajpat Nagar IV,
New Delhi-110024
TeleFax: 011- 26486931

222, Vidhayak Awas, Aishbagh Road,
Rajendra Nagar, Lucknow
Phone: 0522-2690343, 2691922

दिनांक : 25 मई 2018

सेवा में,

श्रीमान् जिलाधिकारी
जनपद सोनभद्र
उ0प्र0

विषय : ग्राम लीलासी व महिला हिंसा और वनाधिकार कानून 2006 की अनदेखी

आदरणीय जिलाधिकारी महोदय,

पिछले एक हफते से ग्राम लीलासी तहसील दुद्धी जनपद सोनभद्र में आदिवासी महिलाओं के साथ हुई पुलिस हिसां के सम्बन्द्ध में आपको यह पत्र प्रषित है। महोदय ग्राम लीलासी में रहने वाले तमाम गोंण आदिवासी पुरखों के जमाने से जोत कोड़ करते चले आ रहे हैं और इसी अधिकार को माननीय संसद ने 2006 में 'अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत समुदाय वनाधिकारों को मान्यता कानून 2006' के तहत मान्यता प्रदान की है। लेकिन इस कानून को पारित हुए 11 वर्ष बीत गए है अभी तक जनपद सोनभद्र में संसद के इस कानून की अनदेखी की गई है व अभी तक यहां के आदिवासयों व अन्य परम्परागत समुदाय को उनके वनभूमि व वनों पर अधिकार प्राप्त नहीं हुए है। जिसके कारण आए दिन वनविभाग व उनसे जुड़े निहित स्वार्थो का उत्पीड़न यहां के वनसमुदाय पर बादस्तूर ज़ारी है। विगत 21 मई को भी वनविभाग व गांव के सरहंग द्वारा आदिवासी महिलाओं पर यह आरोप लगाया कि उनके द्वारा पेड़ काटे गए हैं व वनों का नुकसान किया गया है। इसी आधार पर पुलिस द्वारा ग्राम लीलासी में आदिवासीयों के घरों में घुस कर उनकों मारना पीटना शुरू किया गया जिसमें सुखदेव गोंण व ग्राम वनाधिकार समिति की सचिव किस्मती गोंण को गम्भीर चोटों आई हैं। पुलिस की और से एक तरफा कार्यवाही से ग्राम की आदिवासी महिलओं को आक्रोश आ गया व उन्होंने भी जवाबी कार्यवाही की इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हिंसा की शुरूआत एसओ म्योरपुर द्वारा की गई व आदिवासी महिलाओं पर बिना किसी जांच व आरोप साबित किए गांव में बिना किसी महिला पुलिस के घुस कर महिलाओं के उपर बर्बरता पूर्ण कार्यवाही की गई। दरोगा व सिपाही द्वारा गांव की नौजवान लड़कियों के साथ भी बदतमीज़ी की गई व उन्हें पीटा गया। इससे पूर्व भी 18 मई को आदिवासी महिलाओं पर झूठी कार्यवाही की गई व उन्हें गिरफतार करने की कोशिश की गई लेकिन इस मामले को संज्ञान लेते हुए मानवाधिकार कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड द्वारा स्थानीय प्रशासन को फोन करके पूछा गया व आदिवासी महिलाओं का उत्पीड़न रोकने के लिए आग्रह किया। कायदे से इसके बाद एक जांच आपके माध्यम से होनी चाहिए थी व ग्रामीणों से संवाद किया जाना चाहिए था। चूंकि देश में वनाधिकार कानून लागू है व वन सम्बन्धित कोई भी मामला होता है उसे आपके माध्यम से देखने के लिए इस कानून में प्रावधान है ताकि वनाश्रित समुदाय के साथ ऐतिहासिक अन्याय की पुर्नावृति न हो जैसा कि कानून की प्रस्तावना में लिखा है।

आखिर क्या वजह थी कि 21 मई को पुलिस द्वारा इस मामले में हस्तक्षेप किया गया जबकि इस मामले में उपजिलाधिकारी को मौके से जा कर जांच करनी चाहिए थी व लोगों से संवाद करना चाहिए था। ज्ञात हो कि गत् 23 मार्च 2018 को ग्राम लीलासी द्वारा जनपद सोनभद्र के अन्य 15 ग्राम सभाओं द्वारा सामुदयिक दावों को उपजिलाधिकारी को सौंपा गया था। तथा एक सामूहिक ज्ञापन भी सौंपा गया था व आग्रह किया गया था कि दुद्धी तहसील के दावों को दुद्धी के उपजिलाधिकारी को सौंपा जाए। राबर्टसगंज उपजिलाधिकारी रामकुमार द्वारा पावती भी दी गई व कहा गया कि दुद्धी तहसील के दावों को दुद्धी उपजिलाधिकारी को सौंपा जाएगा। इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई इसके बारे में ग्राम सभाओं को किसी प्रकार की कोई भी सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई बल्कि अधिकार पत्र देने के बजाय वनाश्रित समुदाय पर हिंसा की गई। वनाधिकार कानून के धारा 4(5) के तहत यह प्रावधान है कि जब तक दावा दायर की प्रकिया पूरी न हो जाए तब तक किसी भी प्रकार की बेदखली या किसी प्रकार का उत्पीड़न

वनसमुदाय के साथ नहीं होगा। और अगर ऐसा होता है तो कानून की धारा 7 के तहत दोषी अधिकारीयों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

यह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जनपद की पुलिस और वनविभाग संसद के बनाए गए कानून से खिलवाड़ कर रहे हैं व बेवजाह आदिवासीयों को हिंसा की और व माओवादीओं की और धकेलने का काम कर रहे हैं। इस हिंसा में ग्राम वनाधिकार समिति की सचिव किस्मती व सुखदेव गोंण जो चोटिल हई है वे अपना दवा व मेडिकल तक नहीं बनवा पा रहे क्योंकि दुद्धी और राबर्टसगंज सरकारी अस्पताल के डाक्टरों द्वारा महिला का इलाज करने से मना कर दिया क्योंकि उसके पास थाने की रिपोर्ट नहीं थी। पुलिस द्वारा रंजिशवश आदिवासीयों की रिपोर्ट नहीं लिखी गई यहां तक कि जब मैंने स्वयं पुलिस अधीक्षक को फोन किया और इस सम्बन्ध में बात करनी चाही तो जिस अंदाज में उन्होंने बात की वह मेरे लिए काफी अफसोसजनक था। उन्होंने कहा कि '' मैं लोगों को भड़काती हुं और वो मेरे खिलाफ एक्शन लेगें''। यह सब उन्होंने अंग्रेज़ी में कहा शायद वो मेरे बारे में पूर्वग्रह से ग्रसित हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी से मैं इस तरह की उम्मीद नहीं रखती कि वो धमकाने वाले अंदाज़ में अपने रूतबे का इस्तेमाल करें और अपनी गलती को छिपाने के लिए मेरे उपर व निंदोष आदिवासीयों पर झूठी कार्यवाही करें।

क्या जब कोई मारपीट होती है तो एक पक्षीय कार्यवाही ही होती है? क्या यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि दोनों पक्ष को अपने कानूनी अधिकार को इस्तेमाल करने की बराबर का अधिकार मिले? क्या एफआईआर करना केवल पुलिस वालों का ही अधिकार जनता का अधिकार का क्या होगा? सच क्या है और झूठ क्या है यह तो तभी साबित होगा जब दोनों पक्षों की निष्पक्ष जांच करने का माहौल बनाया जाएगा। ऐसे में प्रशासन को आखिर क्या डर है जो आदिवासीयों की प्राथमिकी दर्ज करने, मेडिकल करने, कहीं आने जाने से रोक लगाई जा रही है। क्यों हम लोगों पर झूठे मुकदमें किए जा रहे हैं जो न मौके पर वहां मौजूद थे? जो सत्ता में हैं वो ही क्यों डरे हुए हैं? जबकि हमारे संगठन द्वारा संविधान के दायरे में ही रह कर पिछले 20 वर्ष से जनपद एवं देश भर में कार्य किया जा रहा है।

हमें आपसे उम्मीद है कि आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं वह केवल और केवल न्याय प्रदान करने के लिए ही इस्तेमाल होगी। मुझे आपसे न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। किसी भी झूठी कार्यवाही पर आप अपने हस्ताक्षर मत किजिएगा क्योंकि एक दिन सच्चाई को सामने आना ही है और हम लोग सच्चाई की तह तक जाने वाले लोग है, ऐसे में आप के गिरेबान पर कोई दाग न लग जाए। मेरे उपर अनगिनत झूठे मुकदमें हैं यह इसलिए किए जा रहे हैं ताकि हम इस इलाके में जनवादी तरीके से काम न कर सके और माफियाओं, वनविभाग, दबंगों, दलालों को लूटमार करने की खुली छूट रहे। हमारा संगठन दलित आदिवासीयों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए जनवादी तरीके से संगठित करते हैं इसलिए हम संवाद पर भरोसा करते हैं। भड़काने वाले तो कटटरपंत, साम्प्रदायिक ताकतें व साम्राज्यवादी ताकतें होती हैं यह हमारा काम नहीं है हम लोग समाज में सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता, वनाधिकार और महिलाओं के समान अधिकार के लिए काम करते हैं इसलिए इस कठिन क्षेत्र में पिछले 20 वर्ष से टिके हैं व डटे हुए हैं। हिंसा का रास्ता का नहीं बल्कि यहां के दूर दराज़ इलाके में हमलोगों ने महिलाओं के साथ काम किया है व माओवादी हिंसा समाप्त करने में अहम भूमिका निभाई है। लेकिन इस का श्रय हम नहीं चाहते हमें विश्वास है कि हम संविधान व कानून के दायरे में काम कर रहे हैं। अभी तक कोई भी जेल हमें नहीं रख पाई न ही रख पाएगी और न ही इससे हम भयभीत है। लेकिन आप द्वारा की गई कोई भी झूठी कार्यवाही आपकों निश्चित ही जेल की सलाखों के पीछे ले जा सकती है यह एक अनुभवी सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपको लिख रही हुं। मैं आशा करती हुं कि आप अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगें व इस घटना की निष्पक्ष जांच के आदेश देगें व आदिवासी महिलओं की मेडिकल जांच कराएगें और उनकी तरफ से भी एफआईआर दर्ज करेगें। मेरे उपर एफआईआर दर्ज करने से कोई फायदा नहीं है इससे तो हमारा संगठन और भी मजबूत होगा और लोगों के अंदर प्रशासन के प्रति और गुस्सा व अविश्वास पैदा होगा। आप जनता का भरोसा जीतने का काम करें व असंतोष के माहौल को सकरात्मक माहौल में तब्दील करें आशा है आप मेरे सुझाव को जरूर अपनाने का कष्ट करेगें।

धन्यवाद

रोमा
उपमहासचिव